न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/19/2022 दायर दिनांक 11.02.2022

उनवान

चंदा देवी बनाम सरकार

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 7 जा0 दी0 :—

निर्णय दिनांकः 20.12.2022

—:निर्णयः—

पत्रावली पेश हुई| वकील प्रार्थीया व् पैरोकार सरकार हाजिर | पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर बहस हेतु निवेदन किया | बहस उभयपक्ष सुनी गयी | दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने निवेदन किया की न्यायालय के प्रकरण संख्या 257/2010 सुनवाई हेतु दिनांक 31.01.2018 को नियत थी | प्रार्थिया बेरोज पेशी नौकरी पर होने से उपस्थित नही हो पायी तथा वकील प्रार्थी ने निवेदन किया की में भी स्वयं अन्य गाँव होने से नही आ पाया | प्रार्थीया अधिवक्ता ने निवेदन किया की मामला जायदाद से सम्बंधित है तथा प्रार्थिया विधवा महिला है तथा घर में कमाना वाला अन्य कोई व्यक्ति नही है | अतः उक्त प्रकरण पुनः नंबर पर लिया जाकर मेरिट पर निस्तारण किये जाने का आदेश फरमावे| हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया | पत्रावली का अवलोकन किया | मूल वाद पुनः नंबर पर लिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है | प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद 257/2010 चम्पा बनाम सरकार पुनः नंबर पर लिया जाता है | प्रार्थना पत्र 19/2022 मूल वाद के साथ सलंग्न रहे | पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो | आदेश सुनाया गया |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:19:45 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official